मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 845/1133/चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 28 सितंबर, 2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/
समस्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः वर्ष 2010–11 से आयोजना बजट के लिए त्रैमासिक आहरण व्यवस्था।

संदर्भः1.वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 642/1133/चार/बी–1/2010 दिनांक 16–7–2010.
2. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 285/आर 327/09/बी–1/2009 दिनांक29–3–2010.

राज्य शासन व्दारा वर्ष 2010–11 के आयोजना बजट के लिये त्रैमासिक आहरण व्यवस्था लागू की गई है। इसके कारण कुछ कार्यालयों में आयोजना बजट से वेतन आहरण में कठिनाइयां आ रही थीं। अतः आयोजना अतर्गत भी वेतन आहरण को त्रैमासिक आहरण के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। इस हेतु कोषालय के साफ्टवेयर में संशोधन दिनांक 1.9.2010 से लागू कर दिया गया है। अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन का आहरण समय पर हो। यदि इस संबंध में बजट प्रावधान को लेकर कोई कठिनाई हो तो उसका तत्काल निराकरण कराया जाना चाहिये। अगर विभाग के किसी बजट नियंत्रण अधिकारी के पास वेतन भुगतान हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है तो आगामी अनुपूरक अनुमानों में बजट प्रावधान कराएं तथा तत्काल आवश्यकता होने की स्थिति में आकस्मिकता निधि से प्रावधान हेतु प्रस्ताव भेजें। परन्तु कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान में विलम्ब न हो इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2. संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार उद्देश्य शीर्ष 11 विस्तृत शीर्ष 002 कार्यभारित/आकस्मिकता मद से संबंधित आहरण वित्तीय वर्ष 2010–11 से WDDF के स्थान पर कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि अक्टूबर माह तक कार्यभारित/आकस्मिकता मद से वेतन पा रहे कर्मचारियों से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ कोषालय के Salary module (SLIM) में हो जायं जिससे अक्टूबर माह का इन कर्मचारियों का वेतन आहरण (SLIM) के माध्यम से ही हो सके।

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृ0 कमांक 846/1133/चार/बी–1/2010 भोपाल, दिनांक 28 सितंबर, 2010

प्रतिलिपिः 1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0 भोपाल।

2. समस्त जिला कलेक्टर, म0प्र0।

अवर सचिव,
म0प्र0. शासन, वित्त विभाग